

न्यायालय: ~~सुब्बना नागेश~~ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुक्षी जिला धार (म.प्र.)

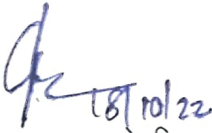
निर्णय ::

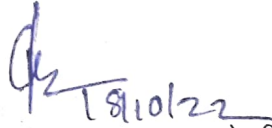
(आज दिनांक 18/10/22 को घोषित किया गया।)

- 01- अभियुक्त राजेश पिता डिल पर धारा 34(1)(ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 08/10/22 को समय 23:57 बजे स्थान प्रोपर्टी के लानगे पर स्वयं के आधिपत्य में मदिरा 11 बीयर बाउल 04 ली कुल --- लीटर रखी।
- 02- आरोपी को धारा 34(1)(ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का अपराध विवरण पढ़कर सुनाया गया तो उसने अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया।
- 03- चूंकि आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। अतः उसकी अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत सिद्धदोष किया जाता है अभियुक्त को धारा 34(1)(ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी -- 07 दिवस का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 04- प्रकरण में जप्त 11 बीयर, 04 दण्डित मदिरा विधिवत नष्ट की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुक्षी जिला धार म0प्र0


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुक्षी, जिला धार म0प्र0